



तिथि | ८३०२ | इ १५

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व पंचल नवालियर मुद्रा
प्रकारण क्रमांक 12015 पुनरीकाण

*M.K.Jain
Advocate*

- 1- गनपत सिंह पुत्र काशीराम जाति बारिजन आयु-90 वर्ष
- 2- रानी लोधी पत्नी स्व० संजय सिंह
- 3- अमरसिंह पुत्र फल सिंह आयु-42 वर्ष
- 4- धुवीरसिंह पुत्र फल सिंह
- 5- धर्मेन्द्र पुत्र हमरतलाल आयु-34 वर्ष
- 6- शश कमललाल पुत्र हमरतलाल आयु-37 वर्ष जाति लोधी

दिनांक 13-10-15
क्रमांक १६
क्रमांक ५१३७ पुनरीकाण

सभी नियासी-ग्राम अधियाक्षा
तहसील गुलाबगढ़ जिला विदिशा मुद्रा
--आवेदकाण

रु००
13-10-15
५०

बनाम

- 1- सनमानसिंह पुत्र बाकुल जाति दासी आयु-40 वर्ष

नियासी-ग्राम अधियाक्षा तहसील गुलाबगढ़
जिला विदिशा मुद्रा

- 2- पथप्रदेश श सन छारा जिला केक्टर
विदिशा जिला विदिशा मुद्रा

--अनावेदकाण

पुनरीकाण आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 पथप्रदेश
मु-राजस्व सीला विरुद्ध आपेक्षा दिनांक 8-10-15
सीमांकन न्यायालय राजस्व निरीकाक गुलाबगढ़
छारा प्रकारण क्र० 48 । ई । 12 । 2014-15 में पास

३

IX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3342-एक/15

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.के. जैन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> 	